भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1932

02 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

महाराष्ट्र से स्वास्थ्य सेवा संबंधी प्रस्ताव

1932. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को अनुमोदनार्थ अनुशंसित स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रस्तावों की वर्ष-वार कुल संख्या कितनी है;
(ख) प्राप्त/स्वीकृत/लंबित प्रस्तावों की कुल संख्या कितनी है तथा इन लंबित प्रस्तावों के अनुमोदन की समय-सीमा क्या है;
(ग) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं अभी भी अपर्याप्त हैं; और
(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्र प्रायोजित योजना शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): स्वास्थ्य देखभाल चुनौतियों से निपटने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) वर्ष 2005 में शुरू किया गया था ताकि जन स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग करने वाले सभी लोगों को सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रयासों को पूरक बनाया जा सके। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी समग्र संसाधन आवश्यकताओं के आधार पर उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों को सशक्त करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्रस्ताव प्राप्त किए जाते हैं। भारत सरकार

मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करती है।

एनएचएम के तहत पिछले तीन वर्षों के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत पीआईपी और आरओपी https://nhm.gov.in/index4.php?lang=1&level=0&linkid=55&lid=68 पर उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ): पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV) ने स्वास्थ्य क्षेत्र के विशिष्ट घटकों के लिए स्थानीय सरकारों के माध्यम से 70,051 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है और इसे केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। स्थानीय सरकारों के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए ये अनुदान वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच वर्ष की अवधि में दिए जाएंगे और इससे जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली को सशक्त करने में मदद मिलेगी।

पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) को भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 64,180 करोड़ रुपये की राशि के साथ आरंभ किया गया था। पीएम-एबीएचआईएम के तहत किए गए उपायों का फोकस प्राथमिक, द्वितीयक और विशिष्ट, सभी स्तरों पर परिचर्या की निरंतरता में स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों की क्षमता विकसित करने पर है, ताकि वर्तमान और भविष्य की महामारियों/आपदाओं का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों को तैयार किया जा सके।

******